

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS  
**LOK SABHA**  
**UNSTARRED QUESTION NO.2677**  
TO BE ANSWERED ON 10<sup>th</sup> March, 2021

**SUPPORT TO EX-CADETS**

2677. SHRI SHRINIWAS PATIL:  
SHRIMATI RITA BAHUGUNA JOSHI:

Will the Minister of DEFENCE please be pleased to state:

- (a) the number of cadets boarded out due to injuries during training in the past five years;
- (b) the percentage of cadets boarded out from those undergoing training at various academies during this period;
- (c) the provisions available for disability pension, compensation, rehabilitation and other monetary benefits to the ex cadets on being boarded out on medical grounds; and
- (d) the measures taken for continued support or alternative employment of the ex cadets on boarding out on medical grounds given their motivation to serve the nation but for unfortunate circumstances?

**A N S W E R**

MINISTER OF STATE  
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(SHRI SHRIPAD NAIK)

(a) & (b): A total of 115 cadets of Indian Army have been boarded out in the past five years due to injuries during the training period. Their percentage training academy-wise is as under:-

<b><u>S. No</u></b>	<b><u>Year</u></b>	<b><u>IMA Dehradun</u></b>	<b><u>OTA Gaya</u></b>	<b><u>OTA Chennai</u></b>	<b><u>NDA</u></b>
(i)	2016	0.25	2.05	0.37	0.38
(ii)	2017	0.125	0.54	0.35	0.52
(iii)	2018	Nil	0.54	Nil	0.98
(iv)	2019	0.25	Nil	1.27	0.83
(v)	2020	0.37	1.25	Nil	1.35

...2/-

: 2 :

Seven cadets of Indian Navy were invalided out of service due to injuries sustained during training in the past five years. They constitute 0.085% of cadets of Indian Navy who underwent training at different Naval academies in the past five years.

Six Flight Cadets were boarded out during training in the Training Establishments due to injuries in the past five years. They constitute 0.34% of the total Flight Cadets who underwent training in the past five years.

(c) The following Ex-gratia benefits are granted to cadets on being medically boarded out:

(i) Ex-Gratia Disability Award (For 100% disability, reduced proportionately) – Rs. 16,200/- pm + Dearness Relief.

(ii) Monthly Ex-Gratia – Rs. 9000/- pm + Dearness Relief.

(iii) Constant Attendance Allowance (For 100% disability only) – Rs.6,750/- pm

In addition, Army Group Insurance Fund (AGIF) provides disability and Ex-gratia benefits to cadets boarded out with disability.

(d) Sanction of Government of India exists for according priority-1 for the purpose of employment, to cadets boarded out on medical grounds attributable to Military Training.

As far as being considerate and compassionate towards cadets, there is a provision wherein, the trainees can be laterally absorbed into civil colleges post withdrawal. Indian Navy has signed MoUs with education institutes i.e. CT Group of Institutes (Jalandhar), Andhra University (Vishakhapatnam), Rai Soni Group of Institutes (Nagpur) to facilitate trainees being withdrawn. The trainees are granted Leave Pending Withdrawal (LPW) once the withdrawal case is forwarded to IHQ MoD (N), which enables them to undertake field scan/admission formalities for lateral absorption.

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**रक्षा मंत्रालय**  
**सैन्य कार्य विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्ना संख्या 2677**  
**10 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए**

**पूर्व कैडेटों को सहायता प्रदान करना**

**2677. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:**

**प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:**

क्याव रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले पांच वर्षों में प्रशिक्षण के दौरान चोटों के कारण बाहर होने वाले कैडेटों की संख्या कितनी है;
- (ख) इस अवधि के दौरान विभिन्न अकादमियों में प्रशिक्षण से बाहर होने वाले कैडेटों का प्रतिशत कितना है;
- (ग): चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए पूर्व कैडेटों हेतु निशक्तता पेंशन, मुआवजे, पुनर्वास तथा अन्य आर्थिक लाभों संबंधी क्या उपबंध हैं; और
- (घ): दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए पूर्व कैडेटों की देश सेवा की भावना को देखते हुए उनकी निरंतर सहायता अथवा वैकल्पिक रोजगार हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) और (ख):** गत पांच वर्षों में प्रशिक्षण अवधि के दौरान चोटों के कारण भारतीय थल सेना के कुल 115 कैडेट बाहर हुए हैं । प्रशिक्षण अकादमी-वार उनका प्रतिशत इस प्रकार है:-

<b>क्रम सं.</b>	<b>वर्ष</b>	<b>आईएमए देहरादून</b>	<b>ओटीए गया</b>	<b>ओटीए चेन्नई</b>	<b>एनडीए</b>
(i)	2016	0.25	2.05	0.37	0.38
(ii)	2017	0.125	0.54	0.35	0.52

(iii)	2018	शून्य	0.54	शून्य	0.98
(iv)	2019	0.25	शून्य	1.27	0.83
(v)	2020	0.37	1.25	शून्य	1.35

गत पांच वर्षों में प्रशिक्षण के दौरान लगने वाली चोटों के कारण भारतीय नौसेना के सात कैडेटों को सेवा से बाहर किया गया था। गत पांच वर्षों में भारतीय नौसेना के कैडेटों में उनका प्रतिशत 0.085 है जिन्होंने विभिन्न नौसैन्य अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

गत पांच वर्षों में प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण के दौरान चोटों के कारण छह फ्लाइट कैडेटों को बाहर किया गया था। गत पांच वर्षों में कुल फ्लाइट कैडेटों में उनका प्रतिशत 0.34 है जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

**(ग):** चिकित्सा के आधार पर बाहर किए जाने वाले कैडेटों को निम्नलिखित अनुग्रह लाभ प्रदान किए जाते हैं:

- (i) अनुग्रह निःशक्तता राशि (शत-प्रतिशत निःशक्तता के लिए, आनुपातिक रूप में कम की गई )- 16, 200/- रुपए प्रतिमाह + महंगाई राहत।
- (ii) मासिक अनुग्रह राशि- 9000/ रुपए प्रति माह + महंगाई राहत।
- (iii) नियत उपस्थिति भत्ता (केवल शत-प्रतिशत निःशक्तता के लिए)- 6,750/रुपए प्रति माह।

इसके अलावा, निःशक्तता के कारण बाहर होने वाले कैडेटों को सैन्य समूह बीमा निधि (एजीआईएफ) के अंतर्गत निःशक्तता एवं अनुग्रह लाभ प्रदान किए जाते हैं।

**(घ):** सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा आधार पर बाहर किए जाने वाले कैडेटों के रोजगार प्रयोजनार्थ प्राथमिकता-1 प्रदान करने के लिए भारत सरकार की संस्वीकृति मौजूद है।

जहां तक कैडेटों के प्रति विचारशील होने एवं सहानुभूति का संबंध है, इसके लिए एक प्रावधान है कि जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को बाहर किए जाने के बाद सिविल कॉलेजों में बाद में शामिल किया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने बाहर किए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सहायता के लिए सीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स (जालंधर), आंध्र विश्वविद्यालय (विशाखापट्टनम), राय सोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स (नागपुर) जैसे शैक्षिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। बाहर किए जाने के मामले को एकीकृत मुख्यालय (आईएचक्यू) रक्षा मंत्रालय (एन) को प्रेषित किए जाने के बाद, प्रशिक्षणार्थियों को लंबित निकासी संबंधी अवकाश (एलपीडब्ल्यू) प्रदान किया जाता है, जो उन्हें पारिर्वाक आमेलन के लिए फील्ड जांच/प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने में समर्थ बनाता है।